संख्या–807 / XXIV(1) / 2012–45 / 2008

U217

07/11/12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(2) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

(3) राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के शिक्षा परिषद्, ननूरखेड़ा, देहरादून।

(4) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 01 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2012

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 21क में 6–14 वय वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है। इस के क्रियान्वयन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित है।

2. अधिनियम की धारा 32 में बालकों के अधिकार से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण उसकी अधिकारिता के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसमेंः–

(एक) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष लिखित में शिकायत कर सकने;

(दो) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए मामले का तीन माह की अवधि के अन्तर्गत निस्तारण करने;

(तीन) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, के समक्ष अपील कर सकने; तथा

(चार) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा स्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किये जा सकने की व्यवस्था उपबन्धित की गई है;

3. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह आवश्यक है कि आपके स्तर पर बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हो। अतः संविधान की भावना तथा अधिनियम में उपबन्धित व्यवस्थाओं के क्रम में :–

(क) ब्लॉक, जनपद एवं निदेशालय स्तर के प्रत्येक कार्यालयों में शिक्षा का अधिकार–शिकायत प्रकोष्ठ का गठन;

Exp RTE

(ख) प्रकोष्ठ के लिए कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभारी नियुक्त करते हुए नियुक्ति आदेश लिखित में करने;

(ग) कार्यालय में शिकायत का क्रमांक, शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत प्राप्ति की तिथि, शिकायत का विषय एवं शिकायत निवारण प्राधिकारी का नाम इत्यादि का उल्लेख करते हुए एक शिकायत पंजिका अनुरक्षित करने;

(घ) कार्यालय में इस प्रकोष्ठ के गठन की सूचना समाचार के रुप में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करने;

(ड़) कोई भी शिकायत किसी भी कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में की जा सकने और यदि शिकायत का निस्तारण किसी अन्य प्राधिकारी से होना हो तो शिकायत को मूल रूप में सम्बन्धित प्राधिकारी को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 05 दिनों के अन्तर्गत अन्तरित किए जाने;

(च) शिकायत पंजिका में अंकित शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस को ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर, आगामी माह के प्रथम सप्ताह में जनपद स्तर से राज्य स्तर पर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून को समीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के साथ राज्य स्तर पर द्वितीय सप्ताह में समीक्षा किए जाने; और

(छ) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रत्येक वर्ष सितम्बर एवं मार्च में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की सूचना सचिव/प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना बाध्यकारी है।

4. क्षेत्र के किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े बालकों के किसी अधिकार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हैः–

(एक) शिकायत दो प्रतियों में प्राप्त किया जाय ;

(दो) सर्वप्रथम शिकायत को पंजिका में दर्ज किया जाय ;

(तीन) शिकायत कर्ता को शिकायत प्राप्त होने की तिथि सहित प्राप्ति रसीद दिया जाना;

(चार) शिकायत जिस व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध है, उसे शिकायत की प्रति भेजते हुए शिकायत के संबंध में उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए संलग्न परिशिष्ट–1 के प्ररूप के अनुसार पत्र भेजा जाने तथा ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 05 दिन के अंदर अनिवार्य रुप से संपादित कर लिया जाना;

(पांच) यदि संबंधित व्यक्ति/संस्था से 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे स्मरण पत्र भेजते हुए 15 दिन का समय दिये जाने;

(छः) यदि संबंधित व्यक्ति/संस्था से स्मरण पत्र के बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं होता तो उन्हें पुनः 15 दिन का समय देते हुए पुनः यह स्पष्ट किया जाना कि यदि निर्धारित तिथि तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने;

(सात) संबंधित व्यक्ति/संस्था से उत्तर प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उसका निस्तारण करते हुए यथावश्यकता प्रकरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने;

(आठ) संबंधित व्यक्ति या संस्था यदि स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने;

(नौ) शिकायत और संबंधित संस्था/व्यक्ति से प्राप्त उत्तर तथा अन्य आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समिति के निर्णय अनुसार शिकायत का निस्तारण किये जाने और यदि शिकायत पर कोई कार्यवाही की जानी है तो सक्षम अधिकारी को निर्णय से अवगत कराते हुए शिकायत का निस्तारण परिशिष्ट–2 के प्ररूप के अनुसार किये जाने;

(दस) प्रत्येक दशा में शिकायत का निस्तारण 03 माह के अन्तर्गत किये जाने;

(ग्यारह) शिकायत निस्तारण की सूचना शिकायतकर्ता को भी दिए जाने;

(बारह) तात्कालिक मामलों से सम्बन्धित समस्यायें, यथा–प्रवेश से इन्कार करने सम्बन्धी शिकायत का समाधान 15 दिन के अन्तर्गत किये जाने और भारतीय दण्ड संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलों को यथा – झगड़ा, Child Abuse, Corporal Punishment, आदि की सूचना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए जा सकने;

(तेरह) यदि किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी द्वारा कदाशयपूर्ण शिकायत निस्तारण में उचित कार्यवाही न की गई हो या विलम्ब आदि दृष्टिगोचर होता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियमान्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा किए जा सकने तथा;

(चौदह) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायत/समस्या के निस्तारण एवं निर्णय हेतु ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर समितियों का गठन निम्नवत करने की कार्यवाही भी आवश्यक एवं अपरिहार्य है:–

(1) ब्लॉक स्तर:–

- खण्ड शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष।
- उप शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव।
- ब्लॉक समन्वयक – सदस्य।
- ब्लॉक स्तर पर जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0 के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या – सदस्य।

ब्लॉक स्तर पर निस्तारित किये जाने वाले प्रावधानों का विवरण:– विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का चिन्ह्रींकरण, नामांकन, विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था, बच्चों का चिन्ह्रींकरण बस्ती और स्कूल के अनुसार, सूचनाएं सार्वजनिक करना, अपवंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव, गुणवत्ता हेतु भौतिक संसाधनों की सूचना एवं उपलब्धता, 6–14 वय वर्ग के बच्चों

का विवरण एवं जन साधारण हेतु अवलोकनार्थ, 25 प्रतिशत बच्चों का चिन्ह्नीकरण, शारीरिक दण्ड, मानसिक उत्पीड़न, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि से सम्बन्धित भेदभाव, अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन, निःशुल्क सुविधायें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय से पाठ्यक्रम पूर्ण न होना आदि।

(2) जनपद स्तरः–

- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य।
- जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी, एस0एस0ए0 – सदस्य सचिव।

<u>जनपद स्तर पर निस्तारित किये जाने वाले प्रावधानों का विवरणः</u>–अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु प्रवेश कैलेण्डर एवं प्रचार–प्रसार, प्रत्येक प्रवेशित बच्चे का नाम जनपद की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना, विद्यालयों में कैपिटेशन शुल्क, अनुवीक्षण प्रक्रिया, अपवंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव, बच्चों को उसी कक्षा में रोकना या निष्काषित करना, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इन्कार, विद्यालयों की मान्यता एवं प्रत्याहरण, विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत रिक्त सीटों के अन्तर्गत प्रवेश से इन्कार, छात्र–शिक्षक अनुपात को प्रत्येक वर्ष के मई माह में अधिसूचित एवं सार्वजनिक करना, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु पड़ोस के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवस्था एवं स्थानान्तरण, शैक्षिक अनुश्रवण, शिक्षण अधिगम सामग्री, अध्यापकों का प्रशिक्षण, अध्यापकों के कर्त्तव्य, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता।

(3) राज्य स्तरः–

- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष।
- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव
- अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान – सदस्य।
- विशेषज्ञ–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 – सदस्य।

<u>राज्य स्तर पर निस्तारित किये जाने वाले प्रावधानों का विवरणः</u>– पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना, मानक पूर्ण न होने पर सीमाओं का शिथिलीकरण एवं Relocation पर विचार, शिक्षकों की योग्यता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मापक/मानदण्ड व अनुश्रवण और बच्चों का अधिप्राप्ति स्तर, अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड निर्धारण एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की व्यवस्था।

(एक) कोई व्यक्ति/माता–पिता/अभिभावक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायत खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के कार्यालय में संलग्न परिशिष्ट–03 के प्ररूप के अनुसार दो प्रतियों में प्रस्तुत कर पंजीकृत करायी जा सकेगी।

5. <u>अपीलीय व्यवस्थाः</u>– ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा शिकायत के निस्तारण से यदि कोई शिकायतकर्ता असंतुष्ट अथवा व्यथित हो तो वह निर्णय के विरुद्ध निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर निम्नवत प्रशासनिक अपीलीय व्यवस्था के अनुसार अपील कर सकेगाः–

क्र0सं0	शिकायत निवारण का स्तर	प्रशासनिक अपीलीय व्यवस्था का स्तर
1	ब्लॉक स्तरीय समिति	जनपद स्तरीय समिति।
2	जनपद स्तरीय समिति	मण्डलीय स्तर समिति।
3	राज्य स्तरीय समिति	उत्तराखण्ड शासन स्तरीय समिति।

6. मण्डल स्तर पर प्रशासनिक अपीलीय व्यवस्था हेतु समिति निम्नवत होगी–
   - मण्डल आयुक्त (कुमाँऊ/गढ़वाल), उत्तराखण्ड – अध्यक्ष।
   - वरिष्ठतम अपर शिक्षा निदेशक (कुमाँऊ/गढ़वाल), उत्तराखण्ड –सदस्य सचिव।
   - विधि अधिकारी, अपर शिक्षा निदेशालय (कुमाँऊ/गढ़वाल), उत्तराखण्ड –सदस्य।
7. शासन स्तर अपीलीय व्यवस्था हेतु समिति निम्नवत है–
   - सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष।
   - अपर सचिव (बेसिक शिक्षा), उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव
   - अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा), उत्तराखण्ड शासन – सदस्य।
8. अपीलीय समिति को 30 दिन की निर्धारित अवधि में समुचित प्रकरणों में विलम्ब मर्षित करने की शक्ति होगी एवं शिकायतकर्ता की अपील का निस्तारण 30 दिनों के अन्तर्गत किया जा सकेगा;
9. यदि कोई व्यक्ति/शिकायतकर्ता ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा शिकायत के निस्तारण से असंतुष्ट अथवा व्यथित है तो परिवादी अथवा अपीलकर्ता को विभागीय प्रशासनिक अपीलीय व्यवस्था से गुजरने की अनिवार्यता नहीं होगी। अतः शिकायतकर्ता सीधे उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर मार्ग, देहरादून में अपील योजित कर सकेगे;
10. विभागीय अपील हेतु अपीलकर्ता संलग्न परिशिष्ट–4 के प्ररूप के अनुसार आवेदन करेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सम्पादित करते हुए अधिनियम के उपबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव,

संख्या– (1)/XXIV(1)/2012–45/2008 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

ak.edn1

2. निजी सचिव – मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक/माध्यमिक), उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

ak.edn1

परिशिष्ट–1

कार्यालय .... (ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर)
.... जिला .... उत्तराखण्ड

क्रमांक/................/ स्थान का नाम ....
....
दिनांक ....
....
सेवा में,
....
....

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 32 के तहत प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की धारा–32 के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई है।

2. आपसे/आपकी संस्था से जुड़ी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है।
3. कृपया शिकायत के संबंध में आप अपना/संस्था का पक्ष यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करे कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।
4. निर्धारित तिथि तक आपका उत्तर प्राप्त न होने पर शिकायत के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नकः–शिकायत की छायाप्रति।

हस्ताक्षर
खण्ड शिक्षा अधिकारी/
जिला शिक्षा अधिकारी/
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

कार्यालय

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

ब्लॉक..जिला ...., उत्तराखण्ड

आवेदक/शिकायतकर्ता– (नाम) ....

(पता) ....

बनाम

प्रतिवादी– (नाम) ....

(पता) ....

आदेश

(दिनांक ....)

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की धारा 32 के अंतर्गत आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत की गई है कि.. ....(शिकायत का सारांश लिखा जाए)।
2. शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के संबंध में प्रतिवादी का पक्ष सुना गया। उन्होंने लिखित पक्ष प्रस्तुत किया। उनका कथन था कि ....(प्रतिवादी के उत्तर का सारांश लिखा जाए)।
3. आवेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने यह पक्ष रखा कि ....(प्रतिवादी के पक्ष का संक्षिप्त विवरण लिखा जाए)।
4. शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत यह पाया गया कि .... (निर्णय अंकित करे)।

नोटः– इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाए।

हस्ताक्षर

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः/ / / **दिनांक ....**

प्रतिलिपिः—

1. शिकायतकर्ता .... (नाम एवं पता) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिवादी .... (नाम एवं पता) को सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड..............................को सूचनार्थ।

हस्ताक्षर

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

शिकायत—प्रपत्र

सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
ब्लॉक........................ जनपद ....

विषयः—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायत / समस्या विषयक।

महोदय,

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत ....(बच्चे का नाम).......................................(जन्मतिथि / आयु)..(पिता / माता / अभिभावक का नाम)..(वर्तमान पत्र व्यवहार का पता)..(विद्यालय का नाम जिसमें बच्चा अध्ययरत है) से सम्बन्धित निम्न शिकायतों / समस्याओं का निस्तारण करने का कष्ट करें—

1. ....
2 ....
3. ....

दिनांकः— ....

हस्ताक्षर
शिकायतकर्ता का नामः—
बच्चे से सम्बन्धः—
पताः—..
....
....

परिशिष्ट–04

अपील–प्रपत्र

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक(कुमाँयू/गढ़वाल मण्डल)/अपर सचिव (बेसिक शिक्षा), उत्तराखण्ड शासन।

जनपद ....मण्डल................................राज्य...
....

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायत/समस्या के निस्तारण के विरूद्ध अपील विषयक।

महोदय,

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत ....(बच्चे का नाम).......................................(जन्मतिथि/आयु), श्री/श्रीमती..(पिता/माता/अभिभावक का नाम)..(वर्तमान पत्र व्यवहार का पता)..(विद्यालय का नाम जिसमें बच्चा अध्ययरत है) से सम्बन्धित शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण से असंतुष्ट हूँ।

<u>असंतुष्टि का कारण</u>– ....
....
....
....
....

(ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तर की समिति के निर्णय/निस्तारण की प्रति संलग्न करें)

कृपया, उक्तानुसार अपील निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

दिनांकः.....................

हस्ताक्षर
अपीलकर्ता का नामः–
बच्चे से सम्बन्धः–
पताः–..
....
....